इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल 2013—वैशाख 4, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2013

क्र. 2387-140-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक १ सन् २०१३

मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, २०१३

[“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक २४ अप्रैल, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, १९७९ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें ;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, १९७९ (क्रमांक १० सन् १९७९) की धारा २ में, स्पष्टीकरण में,— **धारा २ का संशोधन.**

(एक) खण्ड (तीन) में, शब्द “और” का लोप किया जाए ;

(दो) खण्ड (चार) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्धविराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् शब्द "और" अंतःस्थापित किया जाए ;

(तीन) खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(पांच) वे व्यक्ति, जो राज्य सरकार या उसकी किसी एजेन्सी से किसी भी नाम से आर्थिक फायदे प्राप्त कर रहे हों और जिनसे लोक स्वास्थ्य के संबंध में सार्वजनिक फायदे के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है.".

रामनरेश यादव
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल :
तारीख १८ अप्रैल सन् २०१३.

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2013

क्र. 2388-140-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 1 of 2013.

THE MADHYA PRADESH ATYAVASHYAK SEVA SANDHARAN TATHA VICHCHINNATA NIVARAN (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2013.

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th April, 2013.]

Promulgated by the Governor in the Sixty-fourth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979.

Whereas, State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title. 1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran (Sanshodhan) Adhyadesh, 2013.

Amendment of Section 2. 2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), in the explanation,—

(i) in clause (iii), the word "and" shall be omitted;

(ii) in clause (iv), for the full stop, a semi-colon shall be substituted and thereafter the word "and" shall be inserted;

(iii) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely :—

"(v) persons getting monetary benefits in whatever name from the State Government or its agency and who are required to discharge duties for the benefit of public in relation to public health.".

RAM NARESH YADAV
Governor
Madhya Pradesh.

BHOPAL :
DATED the 18th April, 2013.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.